



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 59/24 (दावा) शान्ति वगैरह बनाम किशनलाल वगैरह
 किस्म मुकदमा-वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.8.2024	<p>यह वादपत्र, वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामअवतारसिंह नरुका एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये Registered Ad. वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। वास्ते तलबी दिनांक 26.9.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा) </p> <p> <u>26.9.24</u> फाज पत्रावली पेश हुई। P.O. लहाब राज्य कार्य में व्यस्त होने से अगले तारीख चेकी से हुई। पत्रावली गलत कटिेश की चालना में दिनांक 5.11.24 को पेश हो। </p> <p> <u>5-11-24</u> पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. अफिकारी राज्य कार्य हेतु आईकोर्ट जयपुर वधारे जिलसे व्यापिक कार्य नहीं ले सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.12.24 को पेश हो। </p> <p> <u>13-12-24</u> पत्रावली पेश हुई। अलि लापक संबंधी चुनाव 2024 में लगी अलि लापको के व्यस्तता के कारण अलि लापको द्वारा व्यापिक कार्य का स्वागत रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.1.25 को पेश हो। </p> <p> <u>17.1.25</u> पत्रावली पेश हुई। वादी मय वादी इधियेता अनुपस्थित रहे। पक्षांतरान को वार-2 आराज डिलवई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। वहील वादी द्वारा अडिनांक तब प्रतिकरीगण के सम्मन ललपाना परित्रे </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p>..... शांति बनाम किसान लाल मु.नं. 59/24 (दौसा)</p>	<p>न अ क</p>
	<p>Reydl AD प्रेश नहीं डिपे गये हैं। वाडी के वार-2 निर्देशित करमे के वाकएद भी निर्देशों की कवहेलना की जा रही है। इसलिए फाफली में आग्रिम अर्पवाची किया जाना संभव नहीं है। अतः फाफली आदेश 9 नियम 2 उप (जहां सम्मनों की तामील खचै डेने में वाडी के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत मदन प्राधानों का प्रयोग करके खारिज की जाती है। फाफली फंसल शुमार होबर साखिल इफर ही।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	